

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक : PS to FA/2017-18//55

दिनांक : 29-12-17

कार्यालय आदेश


किराया क्रय पद्धति के आवंटियों को मासिक किशतों के ब्याज एवं पेनल्टी में छूट प्रदान करने की अन्तिम तिथि 31.12.2017 होने के मध्यनजर दिनांक 30.12.2017 एवं 31.12.2017 को राजकीय अवकाश को भी मण्डल के विभिन्न वृत कार्यालयों/खण्ड कार्यालयों के अधीन राशि संग्रहण केन्द्रों को दिनांक 29.12.2017 से 31.12.2017 को सायंकाल 6.00 बजे तक राशि जमा करने हेतु खोले जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।


उप वित्तीय सलाहकार
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजि सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजि सचिव-सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजि सचिव-मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल,
4. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय P & M राजस्थान आवासन मण्डल,
5. निजि सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप वित्तीय सलाहकार (CRO)/वरिष्ठ लेखाधिकारी-लागत/वित्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-
9. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-
10. राशि संग्रहण केन्द्र संख्या राजस्थान आवासन मण्डल,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली।


उप वित्तीय सलाहकार
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।